इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 32] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 6 अगस्त 2021—श्रावण 15, शक 1943

भाग ४

विषय-सूची

(क)	(1) मध्यप्रदेश विधेयक,	(2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन,	(3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक.
(ख)	(1) अध्यादेश,	(2) मध्यप्रदेश अधिनियम,	(3) संसद के अधिनियम.
(ग)	(1) प्रारूप नियम,	(2) अन्तिम नियम.	

भाग ४ (क)—कुछ नहीं

भाग ४ (ख)—कुछ नहीं

भाग ४ (ग)

प्रारूप नियम

वन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 23 जुलाई 2021

क्रमांक-एफ 25-33-2017-दस-3.—राज्य सरकार एतद्द्वारा स्थापित डिपो से वनोपज (इमारती लकड़ी/जलाऊ लकड़ी/बांस) की इलेक्ट्रॉनिक नीलामी हेतु विक्रय की शर्तों को विनियमित करने वाले नियम निम्नानुसार जारी करता है:—

स्थापित डिपो से वनोपज (इमारती लकड़ी/जलाऊ लकड़ी/बांस) की इलेक्ट्रॉनिक नीमाली में विक्रय की शर्तों को विनियमित करने वाले नियमः

सर्वसाधारण की जानकारी के लिये एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि मध्यप्रदेश वन विभाग के पोर्टल में दर्शाये गये डिपो में प्रस्तावित की गई वनोपज के विभिन्न लॉटो का विक्रय संबंधित वनमंडलाधिकारी द्वारा दर्शाई गई दिनांक को इलेक्ट्रॉनिक ऑक्शन के माध्यम से किया जायेगा. इलेक्ट्रॉनिक ऑक्शन में भाग लेने के लिये वन विभाग द्वारा पंजीकृत क्रेता इलेक्ट्रॉनिक ऑक्शन के निर्धारित पोर्टल पर लॉग-इन कर सकता है.

नीलाम के पूर्व प्रस्तावित वनोपज के मापों, मात्राओं और श्रेणी के ब्यौरे वनमंडलाधिकारी की सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार सही हैं, किन्तु उनकी किसी भी सीमा तक गारन्टी नहीं है. इसलिये बोलीदार को यह सलाह दी जाती है कि वे इस विषय में अपना समाधान कर लें. यदि बाद में मात्राओं आदि के ब्यौरे गलत पाए जाते हैं तो राज्य शासन के विरुद्ध मुआवजे या किसी अन्य राहत के लिए कोई भी दावा नहीं होगा.

अ. परिभाषाएं:—

1. **इलेक्ट्रॉनिक नीलामी**—विभाग द्वारा निर्धारित पोर्टल जिसका वेबएड्रेस (URL) विभाग की वेबसाईट पर दर्शाया जायेगा, के माध्यम से ऑनलाईन किया गया नीलाम.
2. **वनोपज**—नीलाम में प्रस्तावित ईमारती, जलाऊ, बांस अथवा भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अंतर्गत परिभाषित अन्य वस्तुएं.
3. **क्रेता**—सफल बोली लगाने वाला व्यक्ति, जिस की बोली सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकार कर ली गई हो, क्रेता होगा.
4. **अवरोध मूल्य**—संबंधित वनमंडलाधिकारी द्वारा निर्धारित मूल्य.
5. **ऑनलाईन संसूचना**—बोलीदार/क्रेता को उसके द्वारा उपलब्ध कराये गये ई-मेल, मोबाइल नंबर, अथवा पोर्टल पर भेजे गए संदेशों को इन नियमों के अनुसार संसूचित माना जायेगा.
6. **वृत्त का भारसाधक अधिकारी**—वन वृत्त, जिसके भौगोलिक क्षेत्र में वह डिपो स्थित है जिसमें रखी वनोपज का नीलाम प्रस्तावित है, में पदस्थ भारतीय वन सेवा अधिकारी.
7. **आवेदन**—से अभिप्रेत है ऑनलाइन आवेदन.

ब. नीलाम की शर्तें :

1. किसी भी व्यक्ति को नीलाम में किसी भी लाट के लिए बोली लगाने की अनुमति तब तक नहीं दी जायेगी, जब तक कि वह उसकी शर्तों का पालन करने के करार के प्रतीक स्वरूप विक्रय सूचना पर अपने इलेक्ट्रानिक हस्ताक्षर न करे और प्रत्येक लाट के संबंध में बोली लगाने के पूर्व उसके अवरोध मूल्य के 10 प्रतिशत के बराबर राशि बयाने की राशि के रूप में जमा न कर दे.
2. असफल बोली लगाने वालों के मामले में बयाने की जमा राशि नीलामी समाप्त होने के अगले कार्य दिवस में इलेक्ट्रानिक रूप से वापिस की जाएगी. सफल बोली लगाने वाले के मामले में यह राशि लाट के लिये बोली गई राशि के 25 प्रतिशत के भुगतान में, जैसा कि निम्नलिखित शर्त 3 के अधीन अपेक्षित है, समायोजित कर ली जाएगी.
3. बोली स्वीकृत होने के बाद नीलामी की तारीख से सात दिवस के भीतर (नीलाम की तारीख को छोड़कर), सफल बोली लगाने वालों को ऐसी और रकम का, जिससे बोली की राशि की 25 प्रतिशत राशि पूरी हो जाए, इलेक्ट्रानिक रूप से पोर्टल पर भुगतान करना होगा और ऐसा न करने पर विक्रय रद्द कर दिया जाएगा और उपर्युक्त शर्त 1. के अधीन बयाने के रूप में जमा की गई राशि शासन के पक्ष में समपहृत हो जावेगी और चूककर्ता बोली लगाने वाले की जोखिम पर लाट की पुनः नीलामी की जावेगी.
4. उपर्युक्त शर्त 3. के अधीन विक्रय रद्द हो जाने की स्थिति में यदि चूककर्ता बोली लगाने वाला अनुवर्ती नीलामी में लाट के विक्रय के पूर्व विक्रय के पुनः प्रवर्तन का निवेदन करे तो वृत्त का भारसाधक अधिकारी, यदि उसका इस बात से समाधान हो जाय कि बोली लगाने वाला उपर्युक्त शर्त 3. के अधीन अपेक्षित अगली राशि का किसी समुचित तथा पर्याप्त रूप से विश्वसनीय कारण से विहित समय-सीमा के भीतर भुगतान नहीं कर सका था, तो वह संपूर्ण विक्रय मूल्य और साथ ही विक्रय में हुए विलंब की कालावधि के लिए उस पर ब्याज, तथा विक्रय मूल्य के पांच प्रतिशत के बराबर पुनः प्रवर्तन शुल्क

का भुगतान करने पर, विक्रय का पुनः प्रवर्तन कर सकेगा. उसके पश्चात इन शर्तों के विभिन्न खंडों में दी गई विहित अवधियों तथा समय सीमाओं, जो विक्रय को विनियमित करती हो,की गणना नीलामी की तारीख से की जावेगी. वसूली योग्य ब्याज की दर तथा उसकी गणना की पद्धति नीचे दी गई शर्त 6. में दिए अनुसार होगी.

5. बोली की शेष 75 प्रतिशत राशि, क्रेता द्वारा बोली की मंजूरी की तारीख से (मंजूरी की तारीख को छोड़कर) जो संबंधित वनमंडलाधिकारी द्वारा उसे संसूचित की जावेगी, 44 दिन के भीतर भुगतान की जायेगी. तथापि अपवादित मामले में संबंधित वनमंडलाधिकारी, क्रेता द्वारा निवेदन किये जाने पर, बोली की शेष राशि के भुगतान की 44 दिन की अवधि को, नीचे दी गई शर्त 6. में दिए गए ब्यौरों के अनुसार ब्याज का भुगतान करने पर, 75 दिनों तक बढ़ा सकेगा. कोई आवेदन-पत्र समय वृद्धि हेतु 44वें दिन के अंदर प्राप्त नहीं होता है तो संबंधित वनमंडलाधिकारी, को उक्त दिवस के अगले दिनांक को, विक्रय निरस्त करना बंधनकारी होगा. बोली की शेष राशि का भुगतान इलेक्ट्रॉनिक रूप से पोर्टल पर किया जायेगा.

6. यदि बोली की शेष राशि का भुगतान मंजूरी की संसूचना की तारीख से 44 दिन के भीतर न किया जाए तो भुगतान न की गई शेष राशि पर 45वें दिन से 18 प्रतिशत वार्षिक की दर से, या समय-समय पर पुनरीक्षित दर से, ब्याज वसूल किया जावेगा. ब्याज की गणना के लिए 15 दिन या उसमें कम दिन की अवधि की गणना आधे महीने के रूप में तथा 15 दिन से अधिक किन्तु एक माह से कम की अवधि की गणना एक माह के रूप में की जावेगी.

7. उपर्युक्त शर्त 3., 4., 5., तथा 6. के अधीन भुगतान योग्य रकम के अलावा वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम 2017 के उपबंधों के अनुसार वन विभाग द्वारा भुगतान योग्य वस्तु एवं सेवा कर, तथा अन्य समस्त करों की वसूली विक्रय मूल्य सहित खरीददार से की जायेगी.

8. खरीददारों से विक्रय मूल्य पर स्त्रोत पर तत्समय प्रचलित आयकर भी वसूल किया जायेगा.

9. उपर्युक्त शर्त 3., 4., 5., तथा 6. के अधीन विक्रय मूल्य की रकम का तब तक पूर्णतः भुगतान होना नहीं माना जायेगा, जब तक उक्त शर्त 7. एवं 8. के अधीन उस तारीख को भुगतान योग्य वस्तु एवं सेवा कर, आयकर, तथा अन्य समस्त कर का भी पूर्णतः भुगतान न कर दिया गया हो.

10. क्रेता पश्चातवर्ती दायित्वों के लिए भी, यदि कोई हों, जिनमें इन शर्तों के अधीन उसे बेचे गए माल पर वन विभाग द्वारा भुगतान योग्य वस्तु एवं सेवा कर एवं आयकर के अतिरिक्त राशियों का भुगतान भी शामिल है, उत्तरदायी होगा. ऐसा भुगतान संबंधित वनमण्डलाधिकारी द्वारा मांग की जाने के 15 दिन के भीतर करना होगा.

11. कोई भी व्यक्ति जिसे वन ठेकों में बोली लगाने के लिये प्रतिबंधित किया गया हो, या वर्जित किया गया हो, ऐसा प्रतिबंध लागू होने तक नीलामी में बोली नहीं लगायेगा.

12. संबंधित वनमण्डलाधिकारी की लिखित अनुमति को छोड़ ऐसा कोई भी व्यक्ति जिस पर वन ठेके के कारण या उसके अधीन शासन का धन बाकी हो, नीलामी में बोली नहीं लगा सकेगा.

13. वनमंडलाधिकारी प्रत्येक लाट के लिए कोई आरक्षित मूल्य (अवरोध मूल्य) आरक्षित कर सकेगा और किसी भी लाट को नीलामी की प्रक्रिया आरंभ होने के बाद भी नीलामी से हटा सकेगा, परन्तु तब, जबकि बोली ऐसे आरक्षित मूल्य से कम हो.

14. पूर्ववर्ती बोली पर प्रत्येक अग्रिम की न्यूनतम रकम निश्चित की जायेगी. वनमंडलाधिकारी इसे परिवर्तित कर सकेगा.

15. संबंधित वनमंडलाधिकारी को कोई कारण बताये बिना निम्नलिखित अधिकार होगा:—

(a) सबसे ऊंची या किसी भी बोली को अस्वीकार करने का.

(b) सबसे ऊंची या किसी भी अवस्था में किसी भी लाट को नीलाम से वापस लेने का, भले ही बोली में लगाने वाले उसे खरीदने के लिये तैयार हों.

(c) पर्याप्त कारण दर्शाते हुऐ वृत्त के भारसाधक अधिकारी की अनुमति से नीलाम किसी भी समय रोकने का.

16. सफल बोलीदार बोली पर अपने पंजीकृत डिजिटल हस्ताक्षर अथवा आधार कार्ड आधारित प्रमाणीकरण से हस्ताक्षर करेगा. यदि सफल बोलीदार बोली पर अपने पंजीकृत डिजिटल हस्ताक्षर नहीं करता है तो विक्रय रद्द कर दिया जावेगा तथा स्वीकृत बोली मूल्य का 10 प्रतिशत शासन को समपहृत हो जायेगा. क्रेता को तीन वर्षों की कालावधि के लिये काली सूची में दर्ज

भी किया जा सकेगा. लाट का नीलाम क्रेता की जोखिम पर पुनः किया जावेगा. यदि क्रेता के आवेदन पर वन मंडलाधिकारी इस बात से संतुष्ट हो जाये कि समुचित और पर्याप्त रूप से विश्वास योग्य कारणों से, जो लेखबद्ध किये जायेंगे, क्रेता विहित समय-सीमा के भीतर डिजिटल हस्ताक्षर करने में असमर्थ था, तो ऐसा अधिकारी विक्रय को पुनः प्रवर्तित कर सकेगा. इस हेतु क्रेता को नीलामी की तिथि से एक कार्य दिवस बाद तक लिखित में आवेदन करना होगा.

17. संबंधित वनमंडलाधिकारी की मंजूरी की क्षमता से परे के ठेकों के विक्रय सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के अध्यधीन होंगे तथा सफल बोली लगाने वाला व्यक्ति अपनी बोली पर तब तक आबद्ध रहेगा, जब तक कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा आदेश पारित न किए जाएं.

18. यदि विक्रय मूल्य की शेष 75 प्रतिशत राशि तथा साथ ही उपर्युक्त शर्त 5., 6., 7. तथा 8. के अनुसार वन विभाग द्वारा भुगतान योग्य वस्तु एवं सेवा कर तथा आयकर तथा अन्य कोई कर की राशि के बदले में भुगतान योग्य राशि का भुगतान न किया जाये तो विक्रय रद्द कर दिया जावेगा तथा स्वीकृत बोली मूल्य का 25 प्रतिशत शासन को समपहृत हो जायेगा. क्रेता को तीन वर्षों की कालावधि के लिये काली सूची में दर्ज भी किया जा सकेगा. लाट का नीलाम क्रेता की जोखिम पर पुनः किया जावेगा.

19. यदि बोली की रकम की शेष 75 प्रतिशत राशि का भुगतान न करने के कारण विक्रय रद्द कर दिया गया हो और वृत्त के भारसाधक अधिकारी इस बात से संतुष्ट हो जाये कि समुचित और पर्याप्त रूप से विश्वास योग्य कारणों से, जो लेखबद्ध किये जायेंगे, क्रेता विहित समय-सीमा के भीतर उस राशि का भुगतान करने में असमर्थ था, तो ऐसा अधिकारी समस्त देय रकमों के पूर्व भुगतान और विक्रय मूल्य के 5 प्रतिशत के बराबर पुनः प्रवर्तन शुल्क का भुगतान करने पर विक्रय को पुनः प्रवर्तित कर सकेगा.

20. बेची गई वनोपज को हटाने की अनुमति तब तक नहीं दी जावेगी, जब तक कि उपर्युक्त शर्त क्र. 3. से 10. में दिये अनुसार पूर्ण भुगतान और जहां आवश्यक हो वहां नीचे की शर्त 25. एवं 26. के अधीन स्थान भाड़ा तथा शासन का पूर्ण भुगतान न कर दिया गया हो. लाट/लाटों को हटाने की अनुमति सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय के पूर्व नहीं दी जावेगी. डिपो में इस प्रयोजन के लिये विशेष रूप से बनाये गये द्वार से वनोपज ले जाने की अनुमति दी जावेगी, जहां वनोपज निरीक्षण के लिये, तथा लकड़ी उस पर निकासी हैमर चिन्ह लगाने के लिये प्रस्तुत की जावेगी.

21. बेची गई वनोपज का परिदान लेते समय क्रेता उसके लिये रसीद देगा.

22. डिपो से हटाई जाने वाली समस्त नवोपज संबंधित डिपो अधिकारी/परिक्षेत्राधिकारी से इस प्रयोजन के लिये प्राप्त किए जाने वाले सम्यक रूप से विहित परिवहन अनुज्ञापत्र (परमिट) के अंतर्गत होगी.

23. क्रेता डिपो से वनोपज को हटाने के दौरान डिपो परिसर के भवन, फिक्स्चर्स तथा फिटिंग्स, वनोपज अथवा वहां खड़े किसी वृक्ष या पौधों को होने वाली हानि या क्षति, यदि कोई हो, को पूरा करने के लिए उत्तरदायी होगा. ऐसी हानि या क्षति का मूल्यांकन, जो कि वनमंडलाधिकारी द्वारा किया जावेगा, अंतिम होगा और क्रेता पर बंधनकारी होगा.

24. यदि बेची गई वनोपज उपर्युक्त शर्त क्र. 5. के अनुसार मंजूरी की सूचना की तारीख से 2 माह के भीतर डिपो से नहीं हटाया जाता तो वनमंडलअधिकारी द्वारा निम्नानुसार स्थान भाड़ा वसूल किया जावेगा:—

(a)	इमारती लकड़ी	—	रुपये 10/- (दस) प्रति घनमीटर प्रतिदिन
(b)	जलाऊ लकड़ी	—	रुपये 50/- (पचास) प्रति स्टेंडर्ड माप का चट्टा प्रतिमाह
(c)	बांस	—	रुपये 50/- (पचास) प्रति नोशनल टन प्रतिमाह

25. मंजूरी की सूचना की तारीख से दो महीने की अवधि समाप्ति के पश्चात् स्थान भाड़ा की संगणना की जावेगी. भूमि भाड़ा की गणना करने के लिए 15 दिन या उससे कम की अवधि की गणना आधे महीने के रूप में एवं 15 दिन से अधिक किन्तु एक माह से कम की अवधि की गणना एक माह के रूप में की जावेगी.

26. डिपो से बेची गई तथा खरीदी गई समस्त वनोपज मंजूरी की संसूचना तारीख से दो माह की अविध के भीतर हटाई जायेगी. यदि कतिपय अपरिहार्य परिस्थितियों में यदि कोई क्रेता, जिसने पहले ही पूर्ण राशि का भुगतान कर दिया हो, उपर्युक्त अवधि के भीतर वनोपज हटाये जाने की स्थिति में न हो, तो उसे स्थान भाड़ा का भुगतान करने पर, मंजूरी की सूचना मिलने की तारीख से चार माह की अवधि के भीतर माल हटाने की अनुमति प्रदान की जा सकेगी.

(a) चार माह की अवधि समाप्त हो जाने पर क्रेता को, केवल आपवादिक मामलों में वृत्त के भारसाधक अधिकारी की विशेष अनुज्ञा से, जो स्थान भाड़ा के अतिरिक्त न हटाई गई वनोपज के विक्रय मूल्य के 10 प्रतिशत से अनधिक शास्ति उग्रहित कर सकेगा, वनोपज हटाने की अनुमति दी जा सकेगी.

(b) चार माह की अवधि या ऐसी अवधि, जो वृत्त के भारसाधक अधिकारी द्वारा बढ़ाई हो, के समाप्त हो जाने के पश्चात् विक्रय मूल्य सहित शासन को समपहृत हो जावेगा तथा उसे नीलाम के द्वारा बेच दिया जावेगा और मूल क्रेता को उसके संबंध में दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा.

27. वन विभाग, विक्रय की गई वनोपज एवं अन्य की किसी प्रकार की क्षति और हानि के लिए और आग, चोरी, दुर्विनियोग या अन्य दुर्घटना, जिस भी किसी कारण से हुई हानि के लिए किसी प्रकार का दायित्व स्वीकार नहीं करेगा. विक्रय के बाद डिपो में रखी गई वनोपज पूर्णत: क्रेता की जोखिम पर रहेगा.

28. वन मार्गों पर ट्रक या अन्य भारी वाहनों के चलाने के लिए वनमंडलाधिकारी से निम्नलिखित दरों पर मार्ग अनुज्ञापत्र (परमिट) प्राप्त करना होगा:—

(a) 800 रुपये तिमाही प्रति वाहन, अथवा

(b) 40 रुपये प्रति वाहन प्रति ट्रिप, एक तरफ की एक खेप के लिए

29. तिमाही की अवधि की गणना निम्नानुसार की जावेगी:—

(a) प्रथम तिमाही एक अप्रैल से 30 जून

(b) द्वितीय तिमाही एक जुलाई से 30 सितम्बर

(c) तृतीय तिमाही एक अक्टूबर से 31 दिसम्बर

(d) चतुर्थ तिमाही एक जनवरी से 31 मार्च

30. बोली लगाने की कार्यवाही को इन शर्तों की पूर्ण और बिना शर्तें स्वीकृत समझा जावेगा.

31. मध्यप्रदेश वन उपज (व्यापार विनिमय) अधिनियम 1969, भारतीय वन अधिनियम, 1927 के उपबंध तथा उसके अधीन बनाये गये नियम, जिसमें वन संविदा (कांट्रेक्ट) नियम शामिल है, जहां तक कि वे लागू हों, सफल बोली लगाने वाले/क्रेता पर विक्रय की शर्तों के रूप में लागू होगें.

32. इन शर्तों के अधीन बोली लगाने वाले से किसी भी कारण से वसूली योग्य राशि भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूली योग्य होगी.

33. किसी नीलाम में निर्वर्तित किसी लॉट की बोली स्वीकार किये जाने के उपरान्त एवं क्रेता द्वारा परिदान आदेश प्राप्त कर, क्रय की गई वनोपज का परिवहन कर लिये जाने के पूर्व उस लॉट के विषय में युक्तियुक्त कारण दर्शाते हुये उक्त लॉट के विक्रय को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार संबंधित वृत्त के भार साधक अधिकारी को होगा. वृत्त के भार साधक अधिकारी के लिये यह आवश्य होगा कि नीलाम दिनांक से 7 दिवस के भीतर किसी लॉट विशेष के विषय में पूर्ण नाम एवं पते सहित शिकायत होने पर वह उसका निराकरण (जिसमें लॉट निरस्तीकरण, भी सम्मिलित है) शिकायत प्राप्ति के दिनांक से 7 दिवस के भीतर करें.

34. वृत्त के भार साधक अधिकारी द्वारा शर्त 33 में प्रदत्त शक्तियों के अनुरूप पारित निर्णय के विरुद्ध आदेश दिनांक से 7 दिवस के भीतर अपील प्रधान मुख्य वन संरक्षक कार्यालय में उत्पादन-शाखा के भार साधक अधिकारी को की जा सकेगी, जिसका निराकरण आवेदन प्राप्ति के 7 दिवस में किया जावेगा.

35. इन शर्तों से उत्पन्न समस्त विवाद मध्यप्रदेश के न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र के अध्यधीन होगें.

36. बोली लगाने वाले व्यक्तियों/क्रेताओं की सुविधा हेतु पोर्टल पर आवश्यक प्रबंध/परिवर्तन करने का संपूर्ण अधिकार विभाग का होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय मोहरीर, पदेन सचिव.

राजस्व विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 4 अगस्त 2021

एफ 02-02-2020-सात-7.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 256 के साथ पठित धारा 258 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (उनहत्तर) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020 में निम्नलिखित संशोधन करती है; अर्थात्:—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

(1) नियम 94 में, उप-नियम (2) में, परन्तुक में, पूर्ण विराम के स्थान पर, कॉलन स्थापित किया जाए और तत्पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाए, अर्थात्:—

"परन्तु यह और कि आयुक्त भू-अभिलेख द्वारा वित्त विभाग के अनुमोदन से जारी निर्देशों के अनुसार कतिपय मामलों में अनुसूची-चार में उल्लिखित दरों से कम शुल्क प्रभारित किया जा सकेगा.".

(2) नियम 105 में, उप-नियम (2) में, परन्तुक में, पूर्ण विराम के स्थान पर, कॉलन स्थापित किया जाए और तत्पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाए, अर्थात्:—

"परन्तु यह और कि आयुक्त भू-अभिलेख द्वारा वित्त विभाग के अनुमोदन से जारी निर्देशों के अनुसार कतिपय मामलों में अनुसूची-चार में उल्लिखित दरों से कम शुल्क प्रभारित किया जा सकेगा.".

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुजीबुर्रहमान खान, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 4 अगस्त 2021

क्र. एफ 02-02-2020-सात-7.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 02-02-2020-सात-7, दिनांक 4 अगस्त 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा, प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुजीबुर्रहमान खान, उपसचिव.

Bhopal the 4th August 2021

F. 02-02-2020-VII-Sec 7.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (LXIX) of sub-section (2) of Section 258 read with Section 256 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), State Government, hereby, makes the following amendments in the Madhya Pradesh Bhu-Rajasva Sanhita (Bhu-Sarvekshan Tatha Bhu-Abhilekh) Niyam, 2020, namely:—

AMENDMENTS

In the said rules,

(1) In rule 94, in sub-rule (2), in the proviso, for full stop colon shall be substituted and thereafter the following proviso shall be added, namely:—

"Provided further that a fee less than the rates as mentioned in Schedule-IV may be charged in certain cases as per the directions issued by the Commissioner, Land Records with the approval of the Finance Department.".

(2) In rule 105, in sub-rule (2), in the proviso, for full stop colon shall be substituted and thereafter the following proviso shall be added, namely:—

"Provided further that a fee less than the rates as mentioned in Schedule-IV may be charged in certain cases as per the directions issued by the Commissioner, Land Records with the approval of the Finance Department.".

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
MUJEEBUR REHMAN KHAN, Dy. Secy.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2021.